न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 23/2012

खलील अहमद पुत्र श्री बादुल्ला जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 9 मांगरोल

.......प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

दायरा दिनांक: 24.04.2012 निर्णय दिनांक : 12.10.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी को ग्राम इन्द्राहेडी तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 23 रकबा 4 बीघा का आवंटन दिनांक 25.03.1989 को हुआ था उसी समय प्रार्थी को आराजी का दखल दे दिया था प्रार्थी आज भी 4 बीघा आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है प्रार्थी को जो साबिक खसरा नं0 23 रकबा 4 बीघा आवंटन हुई थी उसके वर्तमान खाता संख्या 54 खसरा नं0 23/151 रकबा 0.46 है0 है जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2064 व मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2044 से 2063 से होती है। लेकिन इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी को मात्र 0.46 है0 आराजी दर्ज की है जबकी प्रार्थी की आराजी 4 बीघा अर्थात 0.64 है0 थी। लेकिन प्रार्थी का वर्तमान में रकबा कम करते हुए 0.46 है0 कम दर्ज की जो गत रकबे के मुकाबले 0.18 है0 भूमि कम दर्ज की गई जिसको प्रार्थी न्यायहित में दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। अतः ग्राम इन्द्राहेडी तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 23 रकबा 4 बीघा का वर्तमान रकबा 0.46 है0 में कमी रकबा 0.18 है0 जोडते हुये 0.64 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 24.04.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल जो लैण्ड होल्डर है तथा राज्य सरकार का पैरोकार है को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2021/14 दिनांक 11.10.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रार्थी खलील अहमद पुत्र बादुल्ला मुसलमान निवासी मांगरोल को ग्राम इन्द्राहेडी की आराजी खसरा नं0 23 रकबा 4 बीघा भूमि दिनांक 25.03.1989 को आवंटित हुयी थी। सेटलमेंट पश्चात प्रार्थी को गैरखातेदारी दर्ज करते समय हाल खसरा नं0 23/151 रकबा 0.46 है0 भूमि खाते दर्ज की गई गत आवंटित रकबा 4 बीघा का नवीन रकबा 0.64 है0 दर्ज होना

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

चाहिए था इस प्रकार 0.18 है0 भूमि कम दर्ज की गयी। सेटलमेंट के पश्चात नवीन खसरा नं0 23 का रकबा 2.88 है0 दर्ज किया गया। जिसकी वर्तमान स्थिति अनुसार 23/150 रकबा 0.32 है0 भूमि जकिरा बैगम वगै0 पुत्र अ0 मन्जान के खातेदारी दर्ज है। खसरा नं0 23/151 रकबा 0.46 है0 भूमि स्वये प्रार्थी खलील अहमद पुत्र बादुल्ला निवासी मांगरोल के गैर खातेदारी दर्ज है। खसरा नं0 23/152 रकबा 0.64 है0 भूमि मोहम्मद रमजान पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान सा0 मांगरोल के नाम गैर खातेदारी में दर्ज खसरा नं0 23/153 रकबा 0.80 है0 भूमि छोटीबाई के नाम खातेदारी में दर्ज है। एवं खसरा नं0 23 रकबा 0.66 है0 भूमि बंजड सिवायचक दर्ज है। आवंटी खलील अहमद के गैर खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नं0 23/151 रकबा 0.46 है0 से लगवा खसरा नं0 23 रकबा 0.66 है0 भूमि बंजड सिवायचक दर्ज है। उक्त सिवायचक भूमि में से आवंटित भूमि से लगवा 0.18 है0 भूमि पर मौके पर आवंटी खलील अहमद का ही कब्जा है। अतः कमी रकबा 0.18 है0 की पूर्ति खसरा नं0 23 रकबा 0.66 है0 सिवायचक से किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर आवंटी खलील अहमद के गैर खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नं0 23/151 रकबा 0.46 है0 में हुयी कमी रकबा 0.18 है0 की पूर्ति उक्त आराजी के लगवा खसरा नं0 23 रकबा 0.66 है0 भूमि बंजड सिवायचक से की जाकर नवीन इन्द्राज ग्राम इन्द्राहेडी की आराजी खसरा नं0 23/151 रकबा 0.64 है0 खातेदार खलील अहमद पुत्र श्री बादुल्ला जाति मुसलमान तथा खसरा नं0 23 रकबा 0.48 है0 भूमि बंजड सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner